रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229752
CG-DL-E-17092021-229752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3492] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943
No. 3492] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/ BHADRA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

का.आ. 3804(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मु और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राजौरी एवं पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी 146+700 से 162+800 कि.मी. तक अखनूर से पुँछ रोड का निर्माण (चौडीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् **डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी- पुँछ आफिस- पुँछ जिला- पुँछ** को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएगें और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मु एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश **जम्मू और कश्मीर** के राजौरी एवं पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी. 146+700 से 162+800 कि. मी. (अखनुर से पुँछ रोड़ सेक्शन-7) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		**जिले का नाम: पूँछ**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: मेंढर					
गांव का नाम: बाटा धूऊरिया					
1	621	निजी	नाला	0.0013000(हेक्टेयर)	0.0013000
2	622	निजी	सिंचित	0.0447000(हेक्टेयर)	0.0447000
3	623	निजी	असिंचित	0.0133000(हेक्टेयर)	0.0133000
4	835	निजी	असिंचित	0.0375000(हेक्टेयर)	0.0375000
5	838	निजी	असिंचित	0.0722000(हेक्टेयर)	0.0722000
6	839	निजी	असिंचित	0.1250000(हेक्टेयर)	0.1250000
			कुल	**0.2940**	**0.2940**

[फा. सं. **7/3A]**

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

S.O. 3804(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.144A in the stretch of land from Km 146+700 to 162+800 Km Akhnoor to Poonch Road in the District- Rajouri or Poonch in the **union territory** of **Jammu & Kashmir**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Commissioner Land Acquisition Poonch, Poonch District Poonch**, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 146+700 to 162+800 (Akhnoor to Poonch Road Section - 7) Road of the National Highway No. 144A in the **Union Territory of Jammu & Kashmir**.

State: JAMMU & KASHMIR	**District: POONCH**				
Sl. No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Mendhar					
Village: Bhatta Dhurian					
1	621	Private	Nala	0.0013000(Hectare)	0.0013000
2	622	Private	Irrigated	0.0447000(Hectare)	0.0447000
3	623	Private	Non-irrigated	0.0133000(Hectare)	0.0133000
4	835	Private	Non-irrigated	0.0375000(Hectare)	0.0375000
5	838	Private	Non-irrigated	0.0722000(Hectare)	0.0722000
6	839	Private	Non-irrigated	0.1250000(Hectare)	0.1250000
			Total	**0.2940**	**0.2940**

[F. No. 7/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.17 22:23:19 +05'30'